संख्या- 76/2022/3156/58-1-2022-54-2099/274/2020

प्रेषक,

अनामिका सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊः** **दिनांक 18 नवम्बर, 2022**

विषयः- ''निपुण भारत मिशन'' के प्रभावी क्रियान्वयन एवं त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से ''राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन'' (निपुण भारत मिशन) प्रारम्भ किया गया है, जिसमें प्री-स्कूल शिक्षा के तीन साल (प्री-स्कूल 1, प्री-स्कूल 2 तथा प्री-स्कूल 3) से कक्षा 03 तक बच्चों में अपेक्षित अधिगम सम्प्राप्ति निर्धारित किए गए हैं।

उपरोक्त मिशन के अन्तर्गत सुचारू कक्षा-अंतरण के उददेश्य से आंगनवाड़ी केन्द्र पर आने वाले 03-06 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्री-स्कूल एवं कक्षा-1 के बीच समन्वय स्थापित करते हुये एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा तैयार किये गये ई०सी०सी०ई० पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को आंगनवाड़ी और प्री-प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाना है। इसके साथ ही ई0सी0सी0ई0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये 03-06 वर्ष के आयु के बच्चों के अधिगम आवश्यकताओं की पहचान करते हुये विभिन्न कार्यनीतियों की पहल भी किया जाना है ।

''निपुण भारत मिशन'' के अन्तर्गत बाल वाटिका (5-6 वर्ष आयु वर्ग) में पंजीकृत बच्चों हेतु मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान मापने योग्य निम्नवत् लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:-

मौखिक भाषा	दोस्तों और आंगनवाड़ी कार्यकत्री/शिक्षकों से बात करना।
	समझ के साथ तुकान्त/कविता सुनना-सुनाना।
पढ़ना	पुस्तकों को देखना और चित्रों की मदद से कहानी पढ़ने का प्रयास करना।
	कुछ परिचित दोहराये गये शब्दों को पहचानने और इंगित करने की शुरूआत करना। (दृश्य् शब्दों या खाद्य कंटेनर/रैपर पर छपे शब्द)
	अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना।
	कम-से-कम दो अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना।
लेखन	खेल के दौरान पहचान वाले अक्षरों को लिखने का प्रयास करना।
	आत्म अभिव्यक्ति के लिये पेंसिल घसीटना या चित्र बनाना।
	पेंसिल को ठीक से पकड़ना और पहचानने योग्य अक्षर बनाने के लिये उपयोग करना।
	अपने नाम के पहले शब्द को पहचानना और लिखना।
संख्यात्मक	वस्तुओं की गिनती और 10 तक संख्याओं से सह-सम्बन्ध स्थापित करना।
	10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना।
	वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में दो समूहों की तुलना करना और अधिक/कम/बराबर आदि जैसे शब्दों का उपयोग करना। एक क्रम में घटनाओं की संख्या/वस्तुओं/आकृतियो/घटनाओं को व्यवस्थित करना।
	वस्तुओं को उनकी अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और वर्गीकरण के मानदण्ड का संचार करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में तुलनात्मक शब्दों को उपयोग करना, जैसे- लम्बे, सबसे लम्बे, सबसे छोटे से अधिक, हल्के आदि।

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगाः-

बाल वाटिका के अन्तर्गत 05 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक ''प्रिपरेटरी कक्षा'' या ''बाल वाटिका'' (अर्थात कक्षा-1 से पहले) में जायेगा। इन प्रिपरेटरी कक्षाओं में खेल आधारित शिक्षा पर फोकस किया जाय, जिससे संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं के साथ-साथ प्रारम्भिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का स्तर विकसित किया जा सके। इस हेतु आंगनवाड़ी कक्ष में वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिये शिक्षण सहायक सामग्री (टीचिंग लर्निंग मटिरियल-टी०एल०एम०), वर्कबुक, प्रिंटरिच सामग्री आदि शिक्षकों एवं बच्चों को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में खेल, खोज और गतिविधि को सम्मिलित करते हुए कक्ष का वातावरण समावेशी रूप से सृजित किया जायेगा। ई०सी०सी०ई० गतिविधियों यथा-प्री-स्कूल किट, ई०सी०सी०ई० सामग्री, एन०बी०टी० पुस्तिकाएं, पहल (आंगनवाड़ी हैण्डबुक), टी०एल०एम०, विभिन्न मॉड्यूल्स आदि के प्रयोग तथा सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से आंगनवाड़ी कक्ष का रूपान्तरण किया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में प्री-स्कूल में पंजीकृत 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों की समयानुसार निर्धारित अधिगम (Learning Outcome) स्तर की प्राप्ति हेतु निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीः-

1. आंगनवाड़ी केंद्रों का जियो टैगिंग- प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों का मोबाइल ऐप के माध्यम-से जियो टैगिंग किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों के जियो टैगिंग के उपरान्त जनपद स्तर पर स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी केंद्र यथा-किराए के भवन या अन्य शासकीय भवन से संचालित केंद्र को निकटतम परिषदीय प्राथमिक विद्यालय अथवा स्कूल कॉम्पलेक्स के साथ को-लोकेट करने की कार्यवाही की जायेगी।

2. स्कूल रेडीनेस

- स्कूल रेडीनेस हेतु आंगनवाड़ी में पंजीकृत 05-06 वर्ष के बच्चों (बालवाटिका) द्वारा उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्राथमिक विद्यालय के नोडल अध्यापक को नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र एवं को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकत्री के साथ समन्वय स्थापित करते हुये उन्हें आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3. ई०सी०सी०ई० हेतु शैक्षिक सत्र

- प्राथमिक विद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों पर ई०सी०सी०ई० गतिविधियों का संचालन निर्धारित अवधि/समय-सारणी में किया जायेगा।
- आंगनवाड़ी केंद्रों पर ई०सी०सी०ई० सत्र का आयोजन किया जायेगा, जिसमें विभिन्न संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं के साथ-साथ प्रारम्भिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में वृद्धि करने वाली गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर आयोजित होने वाले ई०सी०सी०ई० शैक्षिक सत्र का नियमित रूप से पोषण ट्रैकर पर अंकन किया जायेगा।

4. ई०सी०सी०ई० का संचालन

- खेल एवं गतिविधि आधारित प्री-स्कूल शिक्षा के सुगम संचालन हेतु विभाग द्वारा प्री-स्कूल किट तथा ई०सी०सी०ई0 सामग्री यथा ई०सी०सी०ई० मैनुअल, वार्षिक गतिविधि कैलेण्डर एवं आयु वर्ग के अनुसार बाल गतिविधि पुस्तिका विकसित की गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनपद के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्री-स्कूल किट तथा ई0सी0सी0ई0 प्रिंटेड सामग्रियों की आपूर्ति पूर्ण हो गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा वार्षिक गतिविधि कैलेण्डर के अनुसार एवं ई०सी०सी०ई० मैनुअल के सहयोग से प्रतिदिन ई०सी०सी०ई० गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविका द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकत्री को ई०सी०सी०ई० गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु नियमित एवं निरंतर सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- आंगनवाड़ी कार्यकत्री हेतु ई०सी०सी०ई० से सम्बन्धित विकसित किए गए डिजिटल संसाधन को एक्सेस करने हेतु मुख्य सेविका द्वारा विभाग के यूट्यूब चैनल आईसीडीएस उत्तर प्रदेश एवं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित दीक्षा पोर्टल का प्रयोग करते हुए उन्मुख एवं प्रोत्साहित किया जायेगा।
- मुख्य सेविका द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्री को ''बाल पिटारा मोबाइल ऐप'' पर अभिभावकों को उन्मुख करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- मुख्य सेविका द्वारा अपने सेक्टर की सभी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के साथ सेक्टर लेवल पर मासिक बैठक कर ई०सी०सी०ई० गतिविधियों की समीक्षा एवं चुनौतियों पर चर्चा की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ई०सी०सी०ई० कार्यशाला का भी आयोजन किया जायेगा।
- बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा अपनी परियोजना की सभी मुख्य सेविकाओं के साथ मासिक बैठक कर ई०सी०सी०ई० गतिविधियों की समीक्षा एवं चुनौतियों पर चर्चा की जायेगी।

5. मूल्यांकन

- ''बाल पिटारा'' ऐप के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा बच्चों का निपुण के निर्धारित लक्ष्यों पर सतत अनुश्रवण करते हये त्रैमासिक मूल्यांकन किया जायेगा, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के साथ नियमित अंतराल पर साझा किया जायेगा।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर आयोजित होने वाली ई0सी0सी0ई0 शैक्षिक सत्रों का नियमित रूप से पोषण ट्रैकर पर अंकन किया जायेगा, जिसकी नियमित समीक्षा जनपद एवं ब्लाक स्तर पर की जायेगी।
- बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठकों में समन्वित प्रयासों से डाटा आधारित विश्लेषण के उपरान्त सुधार प्रक्रियाओं पर गहनता से कार्य किया जाना है, जिसके मुख्य कदम हैः- आंगनवाड़ी केन्द्रों में लाभार्थियों के विवरण तथा अधिगम स्तर के आधार पर गतिविधियों का आयोजन, लाभार्थी से संबंधित समस्या को सम्बोधित करना, निश्चित एवं सुनियोजित कार्ययोजना का अनुपालन करते हुये बच्चों की प्रगति का नियमित मूल्यांकन किया जाना है।

''निपुण भारत मिशन'' के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध सम्प्राप्ति हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली जनपद स्तरीय निपुण टास्क फोर्स एवं अन्य जनपद स्तरीय बैठकों में अकादमिक बिन्दुओं पर डाटा आधारित समीक्षा की जायेगी। प्रेरणा पोर्टल एवं विभिन्न निरीक्षणों में प्राप्त डाटा तथा सपोर्टिव सुपरविजन प्रयोग, उपचारात्मक शिक्षण का अनुश्रवण किया जायेगा तथा गैप-एनालिसिस करते हुए लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही ''निपुण भारत मिशन'' के क्रियान्वयन हेतु मिशन के उद्देश्यों से समुदाय तथा अभिभावकों को अवगत कराते हुये उनकी सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार ''निपुण भारत मिशन'' के क्रियान्वयन हेतु मिशन के उद्देश्यों से समुदाय तथा अभिभावकों को अवगत कराते हुये उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
सचिव।

संख्या-76/2022/3156(1)/58-1-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अनामिका सिंह)
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।